भारत के राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकार एवं भूमिका

डॉ. सुस्मिता सेन

सहायक प्राधायपक

राजनिति विज्ञान विभाग

दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

स्वाधीन राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है जिसके अनुसार उस राष्ट्र की शासन–व्यवस्था का संचालन होता है। वही संविधान राष्ट्र विकास में भरपूर योगदान दे सकता है जिसे उस राष्ट्र की जनता ने स्वयं बनाया हो । अथवा जिसे उस देश की संविधान निर्मात्री सभा द्वारा बनाया गया हो। संविधान के विभिन्न प्रावधानों के सम्बन्ध में संविधान निर्माताओं द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से यह नितान्त स्पष्ट हैं कि संविधान निर्माता सिद्धान्तवादिता के स्थान पर व्यवहारिकता से प्रेरित थे।

संविधान निर्माण के प्रत्येक पहलू पर विभिन्न मत और दृष्टिकोण प्रकट किए गए तथा वाद–विवाद में विभिन्न प्रवृत्तियों का उद्घाटन हुआ। संविधान सभा में अधिकांश निर्णय यथासम्भव आम राय से लिए जाने की कोशिश की गई। संविधान जिस रूप में तैयार किया गया वह एक राजनीतिक दस्तावेज था। इसमें समाजवादी व्यवस्था कायम करने का दावा नहीं किया गया था, किन्तु सामान्य वयस्क मताधिकार, नागरिकों के लिए राजनीतिक अधिकारों की गारण्टी एवं विभाजित देश की एकता को मजबूत रखने की व्यवस्था अवश्य की गई।

भारतीय राष्ट्रपति को कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त है जो ब्रिटिश सम्राट को नहीं है जैसे कि राष्ट्रपति के किसी आदेश पर किसी मंत्री के हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है भारत का राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, वह मन्त्रिपरिषद् के आपातकाल संबंधी जैसे निर्णय को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ऐसे अधिकारों के कारण वह अमेरिकन राष्ट्रपति के निकट आ जाता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा न होकर परोक्ष से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल

संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान रीति से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सदस्यों के साथ राज्य विधानमण्डलों के सदस्य भी भाग लेते है।

राष्ट्रपति के वेतन द्वितीय अनुसूची भाग (क) 1 में मिलता है जिसके अनुसार राष्ट्रपति को प्रतिमास 1 लाख पचास हजार रूपये वेतन दिया जाता है। राष्ट्रपति चाहे तो स्वेच्छा से कम वेतन भी ग्रहण कर सकता है। कम वेतन भी ग्रहण कर सकता है। राष्ट्रपति को कुछ उन्मुक्तियां भी दी गयी है। अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन है, तब तक उसके विरूद्ध दीवानी व फौजदारी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, उसे न गिरफ्तार किया जा सकता है और न जेल में रखा जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति पर किसी प्रकार का दावा हो तो दो माह पहले उसे नोटिस देने के बाद ही कोई दीवानी कार्यवाही की जा सकती है।

अधिकारियों के प्रशासनिक कार्य और निर्णय तभी लागू हो सकते है जब राष्ट्रपति उन पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां विस्तृत है, संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण यह परम्परा कायम हो गई है कि वह उनका प्रयोग प्रधानमंत्री की सलाह से ही करेगा। यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद के सदनों में मतभेद हो, तो उसे दूर करने के लिए वह दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आमंत्रित कर सकता है। प्रत्येक अधिवेशन के आरम्भ में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। वह राज्यसभा एवं लोकसभा के स्थानापन्न अध्यक्षों की नियुक्ति करता है।

प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में संसद की स्वीकृति हेतु वार्षिक बजट राष्ट्रपति की ओर से पहले लोकसभा में और बाद में राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी वित– विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति लिये बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। किसी अपराध के लिए दण्डित किये गये व्यक्ति को राष्ट्रपति को क्षमादान करने दण्ड को स्थगित करने या दूसरे दण्ड में परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग मंत्रीपरिषद् के परामर्श से ही करता है।

सार्वजनिक महत्व के कानून से संबंधित विषयों पर राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्राप्त है।

राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। बिना संसद की अनुमति के न तो वे युद्ध की घोषणा कर सकते है और न ही सेनाओं को युद्ध मे लड़ने के लिए भेज सकते है। राष्ट्रपति विदेशों में देश का प्रतिनिधियों तथा वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करते है। राज्यों के राज्यपालों तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। राज्य द्वारा सम्पत्ति राष्ट्रपति ही करता है। राज्य द्वारा सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए अधिनियम बनाए गए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श बाध्यकारी नहीं होता और यह राष्ट्रपति की इच्छा पर है कि वे इस परामर्श को स्वीकार करे या नहीं।

अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति को अनुभव हो कि युद्ध बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशान्ति के कारण भारत या उसके किसी भाग की शान्ति या व्यवस्था नष्ट होने का भय हो तो ऐसी परिस्थितयों राष्ट्रपति संकटकालीन स्थिति की घोषण करता है। संविधान के अनुसार संघीय सरकार को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण तथा आन्तरिक अशांति से रक्षा करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबन्धों के अनुसार चलाई जाए।

राष्ट्रपति को उसके कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान, प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति उसकी सलाह अनुसार कार्य करेगा। भारतीय राजनीति में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पदधारी व्यक्तियों के आपसी संबंध उनके व्यक्तित्व, राजनीति में उनकी स्थिति और तत्कालीन परिस्थितियों पर निर्भर करते है! मंत्रिमण्डल राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने वाली एक समिति है, जिसके परामर्श को मानना या न मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। भारत अपनाए गए संसदात्मक शासन के अंतर्गत कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है।

राष्ट्रीय संकटों का सामना करने के लिए केन्द्रीय कार्यपालिका को प्रदान की गई, शक्तियां एक भरी बन्दूक की भांति है, जिसका उपयोग नागरिकों को स्वतंत्रता की रक्षा के

लिए भी किया जा सकता है और उन्हें समाप्त करने के लिए भी। अतः इस बन्दूक का प्रयोग अत्यधिक सावधानी से किया जाना चाहिए।